कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2018/2776 लखनऊःदिनांक 01 अगस्त, 2018

आवश्यक सूचना

यू0पी0 नीट यू0जी0–2018 के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने इण्टरमीडिएट परीक्षा फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स से उत्तीर्ण करने के पश्चात् इण्टरमीडिएट परीक्षा बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी जैसे एक अतिरिक्त विषय के साथ उसी बोर्ड से आगामी वर्ष मे उत्तीर्ण किया हो, को अनर्ह कर दिया गया था, के संबंध मे कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गयी याचिकाओं यथा रिट याचिका सं0 18831/2018 अर्पिता वर्मा बनाम राज्य व अन्य, याचिका सं0 19523/2018 अनुराग जैन बनाम राज्य व अन्य , 20060/2018 दानिश व अन्य बनाम राज्य व अन्य, 20391/2018 अनामिका जैन बनाम राज्य व अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 23.7.2018 द्वारा पारित निम्नांकित आदेश दिए गये हैः–

16. In view of aforesaid, writ petitions are allowed. The respondents are directed to permit the petitioners in case they are covered by Regulation 4 (2) (b), for counselling along with the rest of the students. It is made clear that the respondents shall not apply Regulation 4 (2) (a) upon the petitioners who have come as private students from U.P. Board. Some of the students who were permitted counselling and were allotted colleges in these petitions have been stopped at that level by the respondents. In case they are qualified as per Regulation 4 (2) (b), respondents shall process their cases also further for allotment of seats along with the rest of the students.

17. With the aforesaid observations and directions, the writ petitions are disposed of

मा0 न्यायालय के उक्त आदेशानुसार ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को, जिन्होने यू0पी0 बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स से उत्तीर्ण करने के पश्चात् इण्टरमीडिएट परीक्षा बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी जैसे एक अतिरिक्त विषय के साथ उसी बोर्ड से आगामी वर्ष मे उत्तीर्ण की हो, को काउन्सिलिंग हेतु अर्ह मानते हुए अभिलेखो के सत्यापन कराये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त अनुमति शासन/एम0सी0आई0/भारत सरकार तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेशो के अधीन होगी।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक